संख्या–वे0आ0–2–1116/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषय:– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) सहायक स्वागती वेतनमान रू0 3050–4590 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 1900/–) के पदों को स्वागती वेतनमान रू0 4000–6000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2400/–) के पदों के साथ संविलीन किया जाय। स्वागती का पदनाम "पर्यटन सूचना अधिकारी" रखा जाय।

(2) स्वागती (परिवर्तित पदनाम पर्यटन सूचना अधिकारी) के पद पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिमानी अर्हता प्राचीन/मध्य कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की जाय।

(3) सहायक पर्यटन अधिकारी तथा पर्यटन अधिकारी के पदों को यथावत बनाये रखा जाये। साथ ही सहायक पर्यटन अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिमानी अर्हता प्राचीन/मध्य कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की जाय। उक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यटन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व

अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिनामी अर्हता के रूप में पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की जाय।

(4) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी ग्रेड वेतन रू0 5400/– (पूर्व वेतनमान रू0 8000– 13500) के पदों को यथावत् बनाये रखते हुए सहायक निदेशक ग्रेड वेतन रू0 5400/– (पूर्व वेतनमान रू0 8550–14600) के पदों को उप निदेशक ग्रेड वेतन रू0 6600/– (पूर्व वेतनमान रू0 10000–15200) के साथ संविलीन किया जाय। साथ ही उप निदेशक पर्यटन के पद पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ प्रचार अधिकारी से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिनामी अर्हता के रूप में पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी एक विदेशी भाषा में मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय या दूतावासों से कम से कम 06 माह की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र निर्धारित की जाय।

(5) सांख्यिकीय अधीक्षक वेतनमान रू0 6500–10500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) का पद शोध अधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400) के पद में संविलीन किया जाय। फलस्वरूप शोध अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों पर पॉच वर्ष की सेवा वाले सांख्यिकीय सहायक से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु गणित/सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा गणित/ सांख्यिकीय प्रश्न–पत्र के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सांख्यिकीय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष) की अर्हता निर्धारित की जाय।

(6) पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुति के अनुसार पर्यटन विभाग में सम्बन्धित पदों का ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित होगा :—

क0 सं0	वर्तमान पदनाम/ वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में) पदों की संख्या	संशोधित व्यवस्था–नुसार पदनाम/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन(रू0 में) पदों की संख्या	पद पर भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संयुक्त निदेशक पर्यटन/रू0 12000–16500 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 7600)03	संयुक्त निदेशक पर्यटन/वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 7600 03	दो वर्ष की सेवा वाले उप निदेशक पर्यटन में से पदोन्नति द्वारा।

2	उप निदेशक पर्यटन / 10000–15200 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 6600) **03**	उप निदेशक पर्यटन / वेतन बैण्ड–3,रू015600–39100 एवं 6600 **07**	तीन वर्ष की सेवा वाले क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी / प्रचार अधिकारी से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
3	सहायक निदेशक पर्यटन / 8550–14600 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400) **04**		
4	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी / प्रचार अधिकारी / 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400) **11**	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी / प्रचार अधिकारी / 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400) **11**	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता** पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिनामी अर्हता** पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी एक विदेशी भाषा में मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय या दूतावासों से कम से कम 06 माह की अवधि का डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र। 50 प्रतिशत– पॉच वर्ष की सेवा वाले पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति। उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
5	पर्यटन अधिकारी / 5000–8000 (वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं 4200) **17**	पर्यटन अधिकारी / वेतन बैण्ड–2,रू0 9300–34800 एवं 4200 **17**	(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता**– पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेज़ी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिनामी अर्हता**– पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि। 50 प्रतिशत– पॉच वर्ष की

			सेवा वाले सहायक पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति
6	सहायक पर्यटन अधिकारी / 4500–7000 (वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2800) **13**	सहायक पर्यटन अधिकारी / 4500–7000 (वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2800) **13**	(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता**– इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिनामी अर्हता**– प्राचीन / मध्य कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि । 50 प्रतिशत– पाँच वर्ष की सेवा वाले पर्यटन सूचना अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा।
7	स्वागती / 4000–6000 (वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2400) **24**	पर्यटन सूचना अधिकारी / वेतन बैण्ड–1, रू0 5200– 20200 एवं 2400 **50**	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा–इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। अधिमानी अर्हता–प्राचीन / मध्यकालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि।
8	सहायक स्वागती / 3050–4590 (वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 1900) **26**		
9	वरिष्ठ शोध अधिकारी / 10000–15200(वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 6600) **01**	वरिष्ठ शोध अधिकारी / वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 6600 **01**	पाँच वर्ष की सेवा वाले शोध अधिकारी से पदोन्नति द्वारा।
10	शोध अधिकारी / 8000–13500 (वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400) **01**	शोध अधिकारी / वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं 5400 **02**	50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों पर पाँच वर्ष की सेवा वाले सांख्यिकीय सहायक से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु गणित / सांख्यीय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा गणित / सांख्यिकीय प्रश्न–पत्र के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा
11	सांख्यिकीय अधीक्षक / 6500–10500 (वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं 4600)		

			स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष) की अर्हता निर्धारित की जाय।
12	डॉकूमेंटेशन सहायक / 4500–7000(वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2800) 01	डॉकूमेंटेशन सहायक / वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं 2800 01	विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(7) पर्यटन विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों / संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियाँ लागू होगी।

(8) पर्यटन विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

(9) पर्यटन विभाग के अन्तर्गत स्थापित उ0प्र0 पर्यटन निगम के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपकमों / निगमों के साथ बाद में दी जायेगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1116(1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।